



दिशा-निर्देश और निर्देश **बागान का स्वामित्व परिवर्तन**

आवेदक(ओं) को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसिंग प्राधिकरण को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन जमा करने से पहले दिशा-निर्देशों/निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ पूर्ण हो।

जमा किए जाने वाले दस्तावेज

1. आवेदन पत्र, जिस पर प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जो भी लागू हो) के हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर विधिवत लगी हो।
2. टी बोर्ड द्वारा टी फैक्टरी के पक्ष में जारी मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र, या 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत क्षतिपूर्ति बांड, जिसमें यह उल्लेख हो कि टी फैक्टरी (टी फैक्टरी का नाम) के पक्ष में जारी मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र खो गया है/गुम हो गया है, और इसके द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि उक्त प्रमाण पत्र बाद में मिलने पर टी बोर्ड को सौंप दिया जाएगा।
3. पंजीकृत विक्रय विलेख/अंतरण विलेख/न्यायालय का आदेश/पंजीकृत पट्टा विलेख।
4. कंपनी के लिए: निदेशक में से एक द्वारा विधिवत प्रमाणित ज्ञापन और संघ के लेख और निगमन का प्रमाण पत्र; या साझेदारी फर्म के लिए: कम से कम दो भागीदारों द्वारा विधिवत सत्यापित साझेदारी का विलेख; या स्वामित्व फर्म के लिए: एकमात्र स्वामित्व के लिए घोषणा के साथ नाम और गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में आवासीय पता मूल्य 100/-, विधिवत नोटरीकृत।
5. यदि संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त न होने के कारण पंजीकृत विक्रय विलेख/हस्तांतरण विलेख/न्यायालय आदेश/पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किए जाते हैं, तो आवेदक को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा: (क) 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक क्षतिपूर्ति बांड, जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के समक्ष विधिवत सत्यापित किया गया हो, जिसमें यह कहा गया हो कि स्वामित्व परिवर्तन के कारण उत्पन्न विवाद की स्थिति में कंपनी चाय बोर्ड को क्षतिपूर्ति देगी, (ख) विक्रेता और क्रेता के बीच विधिवत नोटरीकृत, निष्पादित बिक्री के लिए समझौता और (ग) क्रेता द्वारा भूमि राजस्व के भुगतान का प्रमाण।
6. यदि संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या अन्य सरकारी संगठन द्वारा कारखाने को एक निश्चित अवधि के लिए चलाने हेतु नियुक्त रिसीवर के पक्ष में स्वामित्व परिवर्तन दर्ज किया जा रहा है, तो क्रमांक 3 और 5 के दस्तावेज लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में, रिसीवर और संबंधित सरकारी अधिकारियों के बीच निष्पादित समझौते की प्रति जमा की जानी चाहिए।
7. आवेदन शुल्क 57,500 रुपये (प्लस जीएसटी) का भुगतान <https://onlineapps.teaboard.gov.in> पोर्टल पर ऑनलाइन करें।

ध्यान दें:

1. बोर्ड द्वारा स्वामित्व परिवर्तन तभी किया जाएगा जब पॉलिसी के अनुसार बोर्ड का बकाया ऋण चुका दिया गया हो, या संबंधित चाय बागान के लिए विक्रेता और कंपनी के सभी पंजीकृत चाय बागानों के लिए खरीदार द्वारा नियमित भुगतान किया जा रहा हो।
2. बिंदु संख्या 3(1) में उल्लिखित छूट केवल उन एस्टेट्स पर लागू होती है जो सरकारी भूमि पर स्थित हैं और जिनके लिए संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होनी है। शेष सभी एस्टेट्स के लिए, ऊपर बिंदु 3 में उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है।
3. यह दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। इसके बाद से, सभी आवेदनों (नए और मौजूदा दोनों) को इसी दिशानिर्देश के अनुसार माना जाएगा।